



पत्रांक
सेवा में,

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
1556 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, दिसम्बर, 14, 2015

विषय: अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, वन विभाग कॉलोनी, देहरादून ।
जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा
(कार्लीगाड़) से नालीकला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 11.425किमी) के निर्माण हेतु 9.194हे0
वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति
विषयक प्रस्ताव ।
संदर्भ: प्रस्ताव संख्या FP/UK/ ROAD/ 13657 /2015
महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग,मसूरी ने अपने कार्यालय पत्रांक 1570/ 12-1दिनांक
03-11-2015 द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा कार्लीगाड़) से नालीकला मोटर मार्ग के
निर्माण हेतु वांछित 9.194 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में
वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई X चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं,की संख्या
1	2	3	4	5	6
मसूरी वन प्रभाग/ मसूरी रेंज	आरक्षित वन भूमि मोटीधार कक्ष संख्या 2ए,1ए, 1बी तथा नाली-1	9585 X 9	8.627	705	122 बांज वृक्ष बाधित हैं
	सिविल वन भूमि ग्राम मझाड़ा,कार्लीगाड़ तथा नालीकला	630 X 9	0.5670	07	बांज वृक्ष बाधित नहीं हैं।
	योग वन भूमि	10215	9.194	712	122 वृक्ष
मसूरी वन प्रभाग/ मसूरी रेंज	नाप भूमि-ग्राम कुसरियाना चक, नाली चक	1210 X 9	1.089	115	24 वृक्ष
	कुल योग	11425 मी0	—	827	146

जिलाधिकारी,देहरादून के द्वारा वांछित वन भूमि में गैरवानिकी कार्य हेतु संस्तुति की गई है। मार्ग
के समरेखण में वन भूमि में कुल 712 वृक्ष बाधित हैं,जिसमें 122 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं। नाप
भूमि में कुल 115 वृक्ष बाधित हैं,जिसमें 24 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं।

2- मार्ग के समरेखण में विभिन्न प्रजाति के 0-10 व्यासवर्ग के 89 वृक्षों को प्रस्तावक विभाग के व्यय पर
ट्रांसप्लान्ट किया जाना है,जिसका प्रांकलन भी अपलोड किया जा रहा है।

3- बांज वृक्षों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी के साथ दिनांक 07-12-2015
को किया गया है। निरीक्षण टिप्पणी भाग तीन के साथ ही संलग्न है।

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र- III में
संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है। उक्त की हार्ड प्रति अलग से भी प्रेषित की
जा रही है।

संलग्नक-यथोपरि ।

(आर0क0मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या 1556 (1) / 12-1 (1) उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय मसूरी को उनके पत्रांक 1570/ 12-1दिनांक 03-11-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि-अधिशाली अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई,सिंचाई खण्ड, 6 इन्दिरानगर,देहरादून।

(आर0क0मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त उत्तराखण्ड,देहरादून ।

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम—जनपद देहरादून के रायपुर ब्लॉक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कालीगाड़) से नालीकला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 11.425किमी) के निर्माण हेतु 9.194हे0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी,हाँ । अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के साथ मार्ग के समरेखण में बाधित हो रहे बांज वृक्षों का निरीक्षण दिनांक 07-12-2015 को किया गया । निरीक्षण टिप्पणी अगले पृष्ठ में दी जा रही है।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है ।

दिनांक — 14 दिसम्बर, 2015
स्थान — देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम — (आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

जनपद-जनपद देहरादून के रायपुर ब्लॉक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्रधारा (कालीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 11.425किमी) के निर्माण हेतु 9.194हे0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव में बाधित हो रहे बांज वृक्षों की निरीक्षण टिप्पणी ।

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

भूमि का प्रकार	रेंज / ब्लॉक	बाधित बांज वृक्षों का ब्यास वर्ग वार विवरण									योग
		10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से ऊपर	
आरक्षित वन भूमि	आरक्षित वन भूमि मोटीधार कक्ष संख्या 2ए.1ए, 1बी तथा नाली-1 (705 वृक्ष)	16	65	28	13	0	0	0	0	0	122
सिविल भूमि	गाम मझाड़ा (7वृक्ष)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नाप भूमि	कुसरियाना चक एवं ग्राम नाला (115वृक्ष)	8	11	4	01	0	0	0	0	0	24
कुल योग	827 वृक्ष	24	76	32	14	0	0	0	0	0	146

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त मार्ग के समरेखण में बाधित बांज वृक्षों का निरीक्षण दिनांक 07-12-2015 को प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के साथ किया गया । मार्ग के समरेखण में बाधित वृक्षों के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी निम्न प्रकार है।

प्रस्तावित मार्ग का समरेखण जो वन भूमि से होकर जा रहा है, के समरेखण में कुल 712 वृक्ष बाधित हैं, जिसमें 122 वृक्ष बांज प्रजाति के बाधित सम्मिलित हैं।

2- नाप भूमि में कुल 115 वृक्ष बाधित है जिसमें 24 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं।

3- मार्ग के समरेखण में विभिन्न प्रजाति के 0-10 ब्यास वर्ग के 89 वृक्षों को प्रस्तावक विभाग के व्यय पर संबंधित क्षेत्र के वनाधिकारी, वन कर्मियों की देख-रेख में ट्रांसप्लान्ट किये जाने हेतु मौके पर निर्देश दिये गये हैं तथा इस हेतु प्रस्तावक विभाग के व्यय पर प्रांकलन भी अपलोड किया जा रहा है।

प्रस्तावित मार्ग के निर्माण होने से ग्राम नालीकलां एवं कालीगाड़ के ग्रामवासी मुख्य मार्ग से जुड़ जायेंगे। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु जनहित में वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु वांछित वन भूमि हस्तान्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।

(आर0के0मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
पत्रांक 1984 / दिनांक, मसूरी 04-12-2015।

सेवा में,

✓ वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कालीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग (कुल लम्बाई -11.425 किमी0) के निर्माण हेतु 9.194 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। FP/UK/ROAD/13657/2015 dt. 02.07.2015.

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1391/12-1(1), दिनांक नवम्बर 27, 2015।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 1540/ पी0एम0जी0एस0वाई0/सिंचाई-देहरादून/वन भूमि, दिनांक 01-12-2015 से विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में मोटर मार्ग निर्माण से प्रस्तावित समरेखण में प्रभावित हो रहे 0-10 व्यासवर्ग के आंगणित 89 वृक्षों को प्रस्तावक विभाग के व्यय पर Transplant किये जाने की सहमति (संशोधित) प्राक्कलन पर समुह हस्ताक्षर उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। प्राक्कलन को आनलाईन करते हुए प्राक्कलन दो प्रति (मूल में) अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक:- उक्तानुसार।

CC
को.का.सं.सं. 1
1984-57/12-1
पत्रांक 1984 / दिनांकित।

यमुना वृत्त
(को.का.सं.सं.) 3980
संख्या 12-1
दिनांक 05/12/15

भवदीय

04

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

प्रतिलिपि - अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून, को उक्त सन्दर्भित पत्र एवं उनके पत्र सं0 1540/ पी0एम0जी0एस0वाई0/सिंचाई-देहरादून/वन भूमि, दिनांक 01-12-2015 के क्रम में।

04

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

Contact No:- +91-135-2769738
Fax: +91-135-2769738
email: eepmgsydehradun@rediffmail.com

पत्रांक 1540/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०-दे०दून/वन भूमि

दिनांक 01/12/2015

विषय:-

जनपद देहरादून के रायपुर ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कालीगाड़) से नालीकला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-11.425) के नव निर्माण हेतु 9.194 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 गैर वानिकी कार्यो हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक 1880/12-1 दिनांक, मसूरी 30.11.2015

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी, उत्तराखण्ड।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है ट्रान्सप्लान्ट किये जाने वाले वृक्षों के अंगणित प्राक्कलन पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा/सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं तथा हस्ताक्षर उपरान्त भी संगनल कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि प्रभाग स्तर से प्रकरण में शीघ्र अतिशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संगनक-उपरोक्त प्रमाण पत्रों की 3 प्रतियां

अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
6-इन्दिरा नगर, देहरादून।

पत्रांक / पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०-दे०दून/वन भूमि/तदिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-3, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि वन भूमि के प्रस्तावों को व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन-प्रभाग मसूरी कार्यालय से सम्पर्क कर प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें साथ ही इस कार्यालय को सूचित करें एवं साप्ताहिक प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायें।

अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
6-इन्दिरा नगर, देहरादून।

परियोजना— जनपद देहरादून के रायपुर ब्लॉक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड) से नालीकला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 11.425 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 9.194 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव.

प्राक्कलन बावत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड) से नालीकला मोटर मार्ग प्रस्तावित मोटर मार्ग में 0-10 व्यास वर्ग के 89 बाधक वृक्षों को ट्रांस प्लांट कार्य का आंकलन,

मसूरी रेंज, मसूरी वन प्रभाग।

क्र० सं०	कार्य का नाम	ईकाई	नपत(मी०में)			मात्रा	दर (रु०)		योग
			ल०	चौ०	ऊ०				
1	89 वृक्षों के ट्रांसप्लांट हेतु गड्ढा खुदान कार्य करना	89	1.50	1.50	2.00	400.50	घ०मी०	244.60	97962.30
PWD UTTRAKHAND Building Works Based On CPWD skeleton Year 2015-2016 Item No. 91511									
2	वृक्षों को सुरक्षित उखाड़ना,	89	स्थानीय श्रमिकों की उपलब्धता के आधार पर			89		1000.00	89000.00
3	वृक्षों को खोदे गये गड्ढों तक ढुलान करना, श्रमिकों के द्वारा	89	स्थानीय श्रमिकों की उपलब्धता के आधार पर			89		800.00	71200.00
4	वृक्षों का रोपण करना व गड्ढा भराना करना	89	स्थानीय श्रमिकों की उपलब्धता के आधार पर			89		200.00	17800.00
5	वृक्षों हेतु गोबर खाद मय ढुलान के	89	स्थानीय बाजार दर पर			89		80.00	7120.00
			योग						283082.30
	आकस्मिक व्यय— 2 प्रतिशत								5661.65
	कुल योग—								288743.95

या— रु०— 288700.00

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभानीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

सहायक अभियन्ता वृतीय
पी.एम.जी.एस.वाई, सिंचाई खण्ड
6, इन्दिरा नगर, देहरादून

(Sanjay Singh)
Executive Engineer
P.M.G.S.Y, I.D., 6, Indira Nagar,
Dehradun Govt. of Uttarakhand

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज, मसूरी।

प्रभानीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी